

सत्र 2022-2024 के लिये राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये तृतीय चयन सूची (Third Selection List) जारी करने के संबंध में आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री संस्थान एवं अंगीभूत डिग्री संस्थान में सत्र 2022-2024 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 18.08.2022 को प्रथम चयन सूची (First Selection List) जारी की गयी थी। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 02.09.2022 को द्वितीय चयन सूची जारी की गयी, जिसके आधार पर दिनांक 10.09.2022 तक नामांकन लिया गया है। इसी क्रम में दिनांक 16.09.2022 को तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी।

2. उल्लेखनीय है कि देश एवं राज्य वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। ऐसे में नामांकन के समय निम्न सावधानियों के बरते जाने की आवश्यकता है -

- सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना। इसके लिए दो विद्यार्थियों के बीच दो मीटर की दूरी बनाए रखना।
- महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आने वाले विद्यार्थियों/अभिभावकों तथा कार्यरत कर्मियों के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना एवं उनके हाथों को सैनेटाइज (Sanitize) करना।
- सभी कार्यरत कर्मियों एवं विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

3. सत्र 2022-2024 के लिये +2/इण्टर में नामांकन हेतु जो आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किया गया था, उसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन संस्थानों का विकल्प दिया गया था, उनमें से मरे गये प्राथमिकता, माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%), आरक्षण कोटि के आधार पर +2/इण्टर में नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची (Third Selection List) दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जारी किया जायेगा।

4. +2/इण्टर कक्षा में नामांकन हेतु निम्नांकित तीन श्रेणी के विद्यार्थी हो सकते हैं -
(क) वैसे विद्यार्थियों के लिये, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (First/Second Selection List) में हुआ था एवं Slide Up के बाद तृतीय चयन सूची में अन्य शिक्षण संस्थान हेतु चयन किया गया है।

(ख) वैसे विद्यार्थियों के लिये, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में नहीं हुआ था परन्तु तृतीय चयन सूची में हुआ है।

(ग) वैसे विद्यार्थियों के लिये, जिनका चयन तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में नहीं हुआ है।

(क) वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (First/Second Selection List) में हुआ एवं Slide Up के बाद तृतीय चयन सूची में अन्य शिक्षण संस्थान हेतु चयन किया गया है -

(i) वैसे विद्यार्थी, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय चयन सूची के आधार पर आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन लिए थे, को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा Slide Up के लिये किये गये अनुरोध के आधार पर उनका इस तीसरी चयन सूची (Third Selection List) में उच्चतर प्राथमिकता वाले अन्य संस्थान/संकाय आवंटित किया गया है। अतः उनका पूर्व के संस्थान में लिया गया नामांकन (Admission) को रद्द (Cancel) कर दिया गया है तथा उनको सीट को दूसरे विद्यार्थी को आवंटित करने हेतु अक्षर कार्रवाई की गयी है। अतः ऐसे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे तृतीय चयन सूची में आवंटित शिक्षण संस्थान में अपना नामांकन दिनांक 16.09.2022 से 20.09.2022 के बीच अवश्य करा लें। अगर उनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो उनका अस्थायित्व रद्द कर दिया जायेगा। तृतीय चयन सूची के पश्चात् OFSS के माध्यम से कोई अन्य चयन सूची जारी नहीं की जायेगी।

(ii) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संस्थानों का तृतीय सूची का कट ऑफ लिस्ट (Third List Cut Off) देख सकते हैं।

(ख) वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन प्रथम/द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में नहीं हुआ था, परन्तु तृतीय चयन सूची में हुआ है -

(i) उनको सूचित किया जाता है कि वे तृतीय चयन सूची में आवंटित संस्थान में अपना नामांकन दिनांक 16.09.2022 से 20.09.2022 के बीच अवश्य करा लें। अगर उनके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो उनका अस्थायित्व रद्द कर दिया जायेगा। तृतीय चयन सूची के पश्चात् OFSS के माध्यम से कोई अन्य चयन सूची जारी नहीं की जायेगी।

(ii) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वे OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संस्थानों के सभी विषयों का तृतीय सूची का कट ऑफ (Third List Cut Off) देख सकते हैं।

(ग) वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में नहीं हुआ है, के लिये आवश्यक सूचना -

(i) तृतीय चयन सूची (Third Selection List) में कुछ विद्यार्थियों का चयन नहीं हो सका है, क्योंकि उनके द्वारा नामांकन के लिये जो भी विकल्प भरा गया था, उनमें से उनके अंक प्रतिशत के आधार पर उनके द्वारा दिये गये विकल्प (Choice) में संभव नहीं हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संस्थानों के सभी विषयों का तृतीय सूची का कट ऑफ (Third List Cut Off) देखा जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि जिन-जिन संस्थानों/विषयों का विकल्प (Choice) उनके द्वारा भरा गया था, उन सभी संस्थानों/विषयों का कट ऑफ अंक संबंधित विद्यार्थी के अंक से ज्यादा है।

(ii) अतः ऐसे विद्यार्थी तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार करें। तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के लिए समिति द्वारा अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके तहत तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् Spot Admission की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। समिति द्वारा Spot Admission के संबंध में विज्ञापित बाद में प्रकाशित की जायेगी।

5. नामांकन करने के लिये आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था, जिसमें 150/- रुपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रुपये संस्थान शुल्क निहित था। अतः सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके संस्थानों में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि RTGS के माध्यम से समिति उक्त संस्थानों को भेज देगी। अतः कोई भी शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी से जिन्होंने ऑनलाईन भुगतान कर दिया है, से आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेगे सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।

6. उल्लेखनीय है कि प्रथम नामांकन के पश्चात् कुछ विद्यार्थियों को तृतीय चयन सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हुआ है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। अतः इस आलोक में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित सामान्य निर्देश (General Instructions) दिया जाता है :-

(i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाये।

(ii) तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाये।

(iii) पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय

चयन सूची तथा तृतीय चयन सूची के अनुसार नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि को निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी -

(क) अगर नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त कर ली गयी है।

(ख) अगर यह नामांकन द्वितीय अथवा तृतीय है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है। अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि विद्यार्थी को पूर्व के नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर वापस लौटा दी जाये और अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उतनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाये। साथ ही विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अन्दर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाये।

7. नामांकन हेतु छात्रों/छात्राओं के लिये आवश्यक निर्देश -

Computer से अपना नामांकन पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form की प्रति एवं अपना मोबाइल संख्या को उन्हीं Common Application Form भरने के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखें।

• सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS के वेब पोर्टल www.ofssbihar.in पर जायेंगे।

• उसके पश्चात् आवेदक होम पेज पर दिये गये लिंक "इण्टरमीडिएट कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन से संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय एवं संकाय" की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये लिंक पर क्लिक करेंगे।

• क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं जिस मोबाइल नम्बर के माध्यम से उन्हीं Common Application Form भरा है, उसे सही-सही भरेंगे।

• आगे बढ़ने के पहले आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेंगे कि सूननाएँ सही भरी गयी हैं।

• वांछित सूचना डालने के पश्चात् आवेदक चयनित संबंधित महाविद्यालय, संकाय एवं विषय देख पायेंगे।

• उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना नामांकन पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।

• डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये पत्र, Common Application Form का प्रिंट आउट सभी अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, सभी दो-दो फोटो प्रतियाँ एवं अपना 06 प्रति फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे।

8. संस्थानों के प्राचार्यों के लिये आवश्यक निर्देश -

(i) जिस संस्थान में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपरिष्ठ हुआ है, उस संस्थान के Admission Incharge को पोर्टल portal.ofssbihar.in पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर Update हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी होगी -

• किसी भी वेब ब्राउजर से www.ofssbihar.in में वेबसाइट खोलें।

• खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।

• "Portal Login" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें संस्थान का User ID एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।

• यदि संबंधित संस्थान का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।

• Login करने के पश्चात् संबंधित प्राचार्य को अपने डैशबोर्ड में बाई तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।

• "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down में से संबंधित संकाय एवं विषय चुन लें।

• उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले चेक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।

• "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।

• OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में दर्ज हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस संस्थान में हो गया है।

• उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपनाया संस्थानों के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि OFSS पोर्टल में आवेदक का नाम दर्ज हो जाने पर ही वह सीट भरा हुआ माना जायेगा।

(ii) तृतीय चयन सूची (Third Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 16.09.2022 से 20.09.2022 तक संस्थानों द्वारा किया जाना है। अतः संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS पोर्टल के संस्थान Login में दिनांक 16.09.2022 से दिनांक 20.09.2022 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन Upload करते रहें। दिनांक 16.09.2022 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 17.09.2022 को, दिनांक 17.09.2022 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 18.09.2022 को, दिनांक 18.09.2022 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 19.09.2022 को, दिनांक 19.09.2022 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अधिकतम दिनांक 20.09.2022 को एवं दिनांक 20.09.2022 के नामांकित विद्यार्थियों का Update अंतिम रूप से दिनांक 21.09.2022 को ही किया जाना आवश्यक है।

ऐसा करना अनिवार्य इसलिए है ताकि संबंधित विद्यार्थी, जिसका नामांकन संस्थान ने ले लिया है, उसकी सीट OFSS पोर्टल में भरी हुई मानी जाये एवं तृतीय एवं अंतिम चयन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु रिक्त सीटों की सूची OFSS पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

(1) तृतीय चयन सूची के आधार पर -

(i) नामांकन की तिथि :- दिनांक 16.09.2022 से 20.09.2022 तक

(ii) संस्थान द्वारा OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in में Login कर सीट अद्यतन किये जाने की अंतिम तिथि :- दिनांक 21.09.2022 तक

(2) Spot Admission की सूचना बाद में दी जायेगी।

9. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हेल्पलाइन दूरभाष संख्या 0612-2230009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव (OFSS)